निर्देश

1. चाहा गया प्रलेख क्रमानुसार दिया जावेगा इसमें लगने वाले यथोचित समय के लिए आवेदक बोर्ड से कोई क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
2. मुख्य/पूरक/द्वितीय/चतुर्थ/पंचम एवं छठे अवसर की पूरक परीक्षा की अंकतालिका हेतु अलग–अलग आवेदन करें तथा शुल्क अलग–अलग जमा कराया जाना है।
3. क्र.सं. 4, 8, 9, 10, 11 एवं 12 को शुल्क सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी की सहमति के पश्चात् ही जमा कराएं।
4. अंकतालिका प्रतिलिपि (अर्जेन्ट) उसी दिन सायं 4.30 से 5.00 के मध्य बनाकर देने का प्रयास किया जायेगा। यदि उस दिन नहीं ले पाया अथवा देना सम्भव नहीं हुआ तो साधारण डाक से उसके नीचे लिखे पते पर भिजवा दी जायेगी।
5. प्रमाण–पत्र प्रतिलिपि छात्र/छात्रा को बोर्ड कार्यालय में नहीं दी जाती है। केवल पंजीकृत डाक से ही भेजी जाती है। अतः प्रार्थी पूर्ण पता पिन कोड सहित स्पष्ट अंकित करें।
6. प्रमाण–पत्र प्रतिलिपि एवं मूल प्रमाण–पत्र (वापसी) के अतिरिक्त सभी प्रलेख साधारण डाक से ही भेजे जाते है।
7. प्रतिलिपि प्रमाण–पत्र में परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित नहीं किया जाता है।
8. प्रलेखों में किसी प्रकार का संशोधन हुता है तो चालान के मुख्य पृष्ठ पर **संशोधित शब्द** अवश्य लिखें ताकि संशोधित प्रलेख प्राप्त हो सके।